

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

करण संख्या :- 173/25

तारीख दागर 23/7/25

शंकर पिता देवीलाल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी
बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

.....प्रार्थी

1. रमेश पिता बालु जी धाकड उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी जलेरी का नया गाँव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
2. अशोक पिता मदन जी धाकड उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
3. भंवर पिता बोथलाल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
4. सोहन पिता लालु जी धाकड उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
5. शंकर पिता मोड जी धाकड उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

.....विपक्षी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा०ले०रे० एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक :- 11/8/25

प्रार्थनापत्र प्रार्थी शंकर ने जरिये अभिभाषक श्री सुनिल कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ खुर्द तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 21 पर स्थित आराजी संख्या 66, कुल किता 1 रकबा 0.6799 हैक्टेयर भुमि,, स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ खुर्द तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 21 पर स्थित आराजी संख्या 66, कुल किता 1 रकबा 0.6799 हैक्टेयर भुमि, की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 173/25

प्रेषित :-

तारीख दायर 23/7/25



तहसीलदार
बिजौलिया

विषय :- प्रकरण संख्या 173/25
पत्थरगढी बाबत।

शंकर पिता देवीलाल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी बेरीसाल
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०

-प्रार्थी
1. रमेश पिता बालु जी धाकड उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी जलेरी का नया गाँव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०
 2. अशोक पिता मदन जी धाकड उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०
 3. भंवर पिता बोथलाल जी उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०
 4. सोहन पिता लालु जी धाकड उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०
 5. शंकर पिता मोड जी धाकड उम्र वयस्क जाति धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज०

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 21 पर स्थित आराजी संख्या 66, कुल किता 1 रकबा 0.6799 हैक्टेयर भूमि,, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भु-अभिलेख निरीक्षक  को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस  तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।




उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां